दिनांक 13.01.2013 को उपायुक्त, चतरा की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की हुई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही –

उपस्थिति – पंजी में संधारित

कार्यवाही

खाद्यान्न की मदवार समीक्षा की गई । समीक्षा के कम में पाया गया कि ईटखारी प्रखण्ड में जनवरी माह का खाद्यान्न उठाव की प्रकिया प्रारंभ की गई है । तथा अन्य प्रखण्डों में दिसम्बर माह का खाद्यान्न का उठाव किया जा रहा है । समीक्षा बैठक में पाया गया कि राज्य खाद्य निगम के गोदाम में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं रहने के कारण खाद्यान्न का उठाव कार्य बाधित है । परिवहन अभिकर्ता, राज्य खाद्य निगम के द्वारा 31.12.12 के बाद खाद्यान्न का परिवहन कार्य करना बन्द कर दिया गया है । इस संबंध में सरकार के सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड रॉची एवं प्रबंधक निदेश, झारखण्ड राज्य खाद्य असैनिक एवं आपूर्ति निगम लिमिटेड रॉची को भी सूचित करने का निर्णय लिया गया । (अनुपालन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा)।

2. अतिरिक्त बी0पी0एल0 – चतरा एवं हंटरगंज प्रखण्ड में माह अप्रील 2012 से आज तक खाद्यान्न उपलब्ध नहीं रहने के कारण उठाव कार्य शून्य है । अन्य प्रखण्डों यथा टण्डवा – अगस्त, सितम्बर तक 15 प्रतिशत, ईटखोरी – अगस्त, सितम्बर 12 तक 50 प्रतिशत, गिद्धौर – जुन, जुलाई 12 तक 75 प्रतिशत, सिमरिया – जुन, जुलाई 12 तक 12 प्रतिशत, लावालौंग – जुन 50 प्रतिशत, पथलगडा – जुन 30 प्रतिशत, कुन्दा – मई का 50 प्रतिशत एवं प्रतापपुर – मई का 90 प्रतिशत उठाव कार्य हुआ है । खाद्यान्न उपलब्ध नहीं रहने के कारण उठाव कार्य बाधित है । इस संबंध में सरकार के सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड रॉची एवं प्रबंधक निदेश, झारखण्ड राज्य खाद्य असैनिक एवं आपूर्ति निगम लिमिटेड रॉची को भी सूचित करने का निर्णय लिया गया । (अनुपालन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा)।

3. **दिवाल लेखन** – अनेकोंबार साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में निदेश दिए जाने के बावजूद दिवाल लेखन कार्य पूर्ण रूप से नहीं किया जाना कार्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है । जिले में संचालित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकानों के दिवाल पर योजनावार लाभुकों का नाम अंकित किए जाने का निदेश दिया जा चुका है । इस संबंध में पुनः कड़ी चेतावनी देते हुए निदेश दिया जाता है कि बिहार/झारखण्ड एकीकृत PDS Control Order 26 के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा का प्रस्ताव दें जिसकी प्रति जिला आपूर्ति कार्यालय को भी उपलब्ध करायें ।

दिवाल लेखन की स्थिति प्रखण्डवार निम्नप्रकार है –

नगरपालिका	–	42 दुकानों में	38 दुकान	
चतरा ग्रामीण	–	78 ''	20 ''	
हंटरगंज	–	127 ''	18 ''	
गिद्धौर	–	28 ''	20 ''	
टण्डवा	–	83 ''	83 ''	
ईटखोरी	–	102 ''	80 ''	
सिमरिया	–	78 ''	47 ''	
पथलगडा	–	23 ''	16 ''	
लावालौंग	–	35 ''	18 ''	
प्रतापपुर	–	88 ''	05 ''	
कुन्दा	–	19 ''	शून्य ''	

अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा को निदेशित है कि जिन जन वितरण प्रणाली के दुकान पर योजनावार लाभुकों का नाम दिवाल पर अंकित नहीं किया गया है उसे PDS Control Order 05 के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें । (अनुपालन अनुमण्डल पदाधिकारी / सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी / निरीक्षक, चतरा जिला)।

3. मुख्यमंत्री दाल–भात योजना – आपूर्ति संबंधी समीक्षात्मक बैठक में निदेश दिया गया था कि मुख्यमंत्री दाल–भात योजना का जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में लाना सुनिश्चित करेंगे जिसकी समीक्षा बैठक में किया जा सके । परन्तु टण्डवा, चतरा शहरी में 01 तथा मयुरहण्ड प्रखण्ड को छोड़कर किसी भी प्रखण्ड से जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया । जॉच के समय विभिन्न प्रखण्डों की स्थिति निम्नप्रकार थी –

क्रम	प्रखण्ड का नाम	भोजन कर चुके लाभुकों की संख्या	भोजन कर रहे लाभुकों की संख्या	कतार में खड़े लाभुकों की संख्या	अभ्युक्ति
1	टण्डवा	102	08	06	
2	चतरा नगरपालिका	125	15	08	
3	मयुरहण्ड	15	10	12	

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी / निरीक्षक को कड़ी चेतावनी देते हुए निदेश दिया जाता है कि साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में मुख्यमंत्री दाल–भात योजना का प्रतिवेदन निश्चित रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा आपके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु सरकार को अनुशंसा की जायेगी । प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सिमरिया को निदेश दिया जाता है कि सिमरिया प्रखण्ड अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूह

का चयन कर मुख्यमंत्री दाल–भात योजना का संचालन अनुशंसा सहित जिला कार्यालय में प्रतिवेदन उपलब्ध कराएँ । (अनुपालन सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षक, चतरा जिला)।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

ह0—
उपायुक्त,
चतरा ।

ज्ञापांक 19 /आ0 दिनांक 15-01-2013.

प्रतिलिपिः– सरकार के सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि – अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि – सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकरी/प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक/सहायक गोदाम प्रबंधक, चतरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि – जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ प्रेषित । निदेश दिया जाता है कि कार्यवाही की प्रति चतरा जिले के वेबसाईट पर प्रकाशित करेंगे ।

15/1/13
उपायुक्त,
चतरा ।